भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *162

दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

.....

उत्तर प्रदेश में बाढ़ से सुरक्षा के लिए निधियां

*162. डॉ. आनन्द कुमार गोंडः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान बाढ़ और कटाव रोकथाम कार्यों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि जारी की गई है और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा बाढ़ राहत, तटबंधों की मरम्मत, कटाव-रोधी उपायों और अन्य संबंधित परियोजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ख) उक्त निधियों में से बहराइच जिले को की गई निधियों के विशेष आबंटन का कार्य-वार ब्यौरा क्या है और इसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ग) क्या बहराइच को संवेदनशील/अत्यधिक संवेदनशील बाढ़ प्रवण जिले के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार बहराइच जिले में बाढ़ से होने वाले कटाव और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का स्थायी समाधान खोजने के लिए भविष्य में कोई नई योजना शुरू करने या विशेष बजटीय प्रावधान करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री

(श्री सी आर पाटील)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

'उत्तर प्रदेश में बाढ़ से सुरक्षा के लिए निधियां' के संबंध में दिनांक 11.12.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय तारांकित प्रश्न सं. *162 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): बाढ़ प्रबंधन एवं कटाव-रोधी योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार तैयार एवं कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करके और गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए प्रोत्साहनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए राज्यों के प्रयासों को संपूरित करती है।

केन्द्र सरकार ने बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, ड्रेनेज के विकास, समुद्र कटाव-रोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने हेतु ग्यारहवीं एवं बारहवीं योजनाओं के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) लागू किया था। वर्तमान में, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा "बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)" को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। एफएमबीएपी योजना के अंतर्गत इसके आरंभ से उत्तर प्रदेश सरकार को कुल 857.45 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जारी की जा चुकी है। पिछले तीन वर्षों (वर्ष 2022–25) के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार को 164.70 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। भारत सरकार की एफएमबीएपी योजना के अंतर्गत 110 करोड़ रुपए की लागत से एक बाढ़ संरक्षण कार्य, पूरा किया जा चुका है, जिससे बहराइच एवं आसपास के जिले लाभान्वित हुए हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंधन कार्यों के लिए कुल 4848.71 करोड़ रुपए की निधि आवंटित की गई है। उपर्युक्त कुल निधि में से बहराइच जिले के लिए 118.26 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहराइच जिले में बाढ़ राहत कार्यों के लिए वर्ष 2023–24 में 3.88 करोड़ रुपए, वर्ष 2024–25 में 8.29 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2025–26 में 2.50 करोड़ रुपए की निधि का आवंटन किया गया है। इन निधियों का उपयोग बाढ़/नदी कटाव, भूमि कटाव से मकान को हुई क्षति, बाढ़ राहत किट, नाव को किराए पर लेने हेतु, चारा तथा खोज एवं बचाव/राहत कार्यों के लिए किया गया है।

(ग): उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि बहराइच को अत्यधिक संवेदनशील बाढ़-प्रवण जिले के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 1986-2022 की अवधि के दौरान देश में केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा बाढ़-प्रभावित क्षेत्रों पर किए गए अध्ययन के अनुसार, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में लगभग 849 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र (लगभग 18%) को बाढ़-प्रभावित क्षेत्र के रूप में आंका गया है।

(घ): उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि कोई नई योजना प्रस्तावित नहीं है। बहराइच जिले में बाढ़ संरक्षण के लिए घाघरा नदी के बाएं तट पर बेलहा–बेहरौली तटबंध (95 किमी) तथा रेवाली–आदमपुर तटबंध (15.5 किमी) का निर्माण किया गया है। ये दोनों तटबंध 416 गांवों, 3,93,000 की जनसंख्या तथा 1,76,850 हेक्टेयर कृषि भूमि को बाढ़ से संरक्षण प्रदान करते हैं। दोनों तटबंध पूर्णतः सुरक्षित हैं। इन तटबंधों पर निर्मित कटाव-नियंत्रण कार्य तथा नदी तट के किनारे बसे गांवों की आबादी के लिए बाढ़ संरक्षण उपायों को आवश्यकतानुसार प्रत्येक वर्ष किया जाता है।

*****